


27.08.2024:- पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई
कार्यवाही नहीं चाही जा रही है प्रार्थी व प्रार्थी
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज
लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन
उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के
उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी
अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
उपसहायक अधिकारी
सुपरी